ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक
परिवार कल्याण, महानिदेशालय।
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।**
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।

पत्रांक–प०क०/10–जे०डी०/824/2020–21/ 6314-168 **दिनांक:–** 04/02/21

विशय–सुरक्षित गर्भपात अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि देश में होने वाली मातृ मृत्यु में से लगभग 8% मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है, जो कि मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। आर0एम0एन0सी0एच0ए0 रणनीति के अंतर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवाएं एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षित सेवाप्रदाताओं द्वारा मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य इकाईयों पर कानूनी दायरे के अंतर्गत सुरक्षित तकनीक का उपयोग करते हुए असुरक्षित गर्भपात से होने वाली मातृ मृत्यु को काफी हद तक रोका जा सकता है। अतः असुरक्षित गर्भपात एवं मातृ मृत्यु को कम करने के लिए महिलाओं की सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है।देश में गर्भपात कानूनन वैध है तथा सुरक्षित गर्भपात अधिनियम 1971 के अंतर्गत 20 सप्ताह तक गर्भपात समापन की सेवाएं प्रदान की जाती है। गर्भपात सेवाओं सम्बन्धी दिशानिर्देश निम्नवत है–

- सुरक्षित गर्भपात सेवाएं–एम0टी0पी0 एक्ट अधिनियम 1971 के अनुसार भारत में एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर जिन्होंने भारत सरकार की विशिष्ट एम0टी0पी0 प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी की हो, वह 12 सप्ताह तक के गर्भ के लिए एम0टी0पी0 सेवाएं प्रदान कर सकते हैं औरकेवल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ20 सप्ताह तक के गर्भ के लिए एम0टी0पी0 सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
- 12 सप्ताह से अधिक अवधि के गर्भपात के लिए दो सेवा प्रदाताओं की राय (फॉर्म–1) में महिला की पूरी जानकारी भरी जानी आवश्यक है। यदि कोई महिला 12 सप्ताह से अधिक की अवधि में इन्डयूस्ड/मिस्ड/इनकम्प्लीट गर्भपात की दशा में सुरक्षित गर्भपात की सेवा हेतु स्वास्थ्य इकाई पर आती है और उस स्वास्थ्य इकाई पर दो सेवा प्रदाताओं की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारणवश सेवा नहीं मिल पाती है तो उस दशा में महिला को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य इकाई पर एम्बुलेंस सेवा का उपयोग करते हुए संदर्भित किया जाए।
- एम0टी0पी0 एक्ट के अनुसार गर्भ का समापन प्रशिक्षित सेवा प्रदाता की राय पर निम्न परिस्थियों में ही किया जा सकता है–
    - ❖ गर्भ को रखने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा है या उसके कारण महिला को शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव पहुंच सकता हो।
    - ❖ भ्रूण में गंभीर भारीरिक या मानसिक विकृतियॉ होने की संभावना हो।
    - ❖ विवाहित जोडों में गर्भनिरोधक विधि की विफलता।
    - ❖ बलात्कार के कारण गर्भ ठहरने कि स्थिति में।

- वर्तमान में प्रदेश में 12 प्रशिक्षण केंद्र (लखनऊ, उन्नाव, बहराइच, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झाँसी, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, बरेली) क्रियाशील है, प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण बैच के अनुसार इन प्रशिक्षण केंद्रों पर एमबीबीएस डॉक्टर की 12 दिवसीय एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित की जाती है।
- प्रशिक्षण में आने वाले सेवा प्रदाताओं का चयन आपके स्वास्थ्य इकाईयों प्रमुखतः जिला महिला चिकित्सालय, प्रथम संदर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) सेप्राथमिकता के आधार पर किया जाए, इन स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रशिक्षित सेवा प्रदाता की उपलब्धता होने की दशा मे अन्य स्वास्थ्य केन्द्रो, से सेवा प्रदाता प्रशिक्षण हेतु नामित किये जाए।
- सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने वाले सभी स्वास्थ्य इकाईयों में एम0वी0ए0 (मैन्युअल वैक्यूम एस्पिरेशन) किट उपलब्ध एवं क्रियाशील होने चाहिए, तथा सेवा प्रदाता को भी उक्त विधि में प्रशिक्षित होना चाहिए। अतः एम0वी0ए0 किट की मांग का प्रस्ताव स्वास्थ्य केन्द्रो में प्रशिक्षित सेवाप्रदाता की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही भेजा जाए।
- सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने वाले सभी स्वास्थ्य इकाईयों में एम0एम0ए0 (मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन) की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, तथा प्रयोग में आने वाली दवाएं Mifepristone- 200mg & Misoprostol-200mcg की उपलब्धता भी सुनिश्चित किया जाए।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) का गठन किया जा चुका है जिसके क्रियान्वयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निम्न कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए–
  - ❖ गर्भपात सेवाएं देने के लिए इच्छुक प्राइवेट अस्पताल /नर्सिंग होम /सेवा केन्द्रो का सुरक्षित गर्भपात अधिनियम 1971 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।
  - ❖ नवीन गैर सरकारी सुरक्षित गर्भपात सेवा प्रदान करने हेतु इच्छुक केन्द्रो के पंजीकरण हेतु ससमय नियमानुसार कार्यवाही की जाए व पंजीकृत केंद्रों की संख्या की त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य मुख्यालय पर प्रेषित की जाए।
  - ❖ सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने वाले समस्त केन्द्रो (सरकारीएवं गैर सरकारी) की सूची जनपद के कार्यालय में उपलब्ध हो।
  - ❖ मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में त्रैमासिक /आवश्यकतानुसार जनपद स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जानी चाहिए एवं बैठक की कार्यवृत्ति राज्य स्तर पर संयुक्त निदेशक एवं महाप्रबंधक परिवार कल्याण को भेजी जाए।
  - ❖ समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी पंजीकृत केंद्र नियमित रूप से मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप--2पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करें एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर समस्त रिपोर्टों का संकलन में विश्लेषण करते हुए मासिक रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाए।
  - ❖ जनपद स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) द्वारा समस्त सेवा केन्द्रो (सरकारी एवं गैर सरकारी) पर सुरक्षित गर्भपात अधिनियम 1971 के अंतर्गत व संशोधन 2002 एवं 2003 के अनुरूप फॉर्मेट की व्यवस्था तथा इकाईयों पर सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित बैठके मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से नियमित रूप से आयोजित की जाए।
  - ❖ सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी एवं गैर सरकारी केन्द्रो पर बायो मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। इस सम्बन्ध में जनपद स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) के सदस्यों द्वारा समय समय पर केन्द्रो का भ्रमण किया जाए एवं भ्रमण आख्या त्रैमासिक रिपोर्ट के आधार पर राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाए।

- सुरक्षित गर्भपात सेवा प्रदान करने हेतु विभिन्न रिपोर्टिंग फॉर्मेट एवं रजिस्टर के प्रारूप जनपद पर सेवा प्रदान करने वाले सभी चिकित्सा इकाईयों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिनका विवरण निम्नवत है–
  - ❖ फॉर्म क (स्थान के अनुमोदन के लिए आवेदन का प्रपत्र)
  - ❖ फॉर्म ख (अनुमोदन का प्रमाण पत्र)
    <u>उपरोक्त दोनों प्रारूप निजी सेवा केन्द्रो के पंजीकरण हेतु है।</u>
  - ❖ फॉर्म ग (सहमति प्रपत्र)
  - ❖ फॉर्म 1 (सलाह प्रपत्र)
  - ❖ फॉर्म 2 (इकाईयों के प्रभारी द्वारा मासिक रिपोर्टिंग का प्रारूप)
  - ❖ फॉर्म 3 (ओ0टी0 पर दाखिला रजिस्टर का प्रारूप)–स्वास्थ्य इकाई पर रिपोर्टिंग हेतु दाखिला रजिस्टर की दो प्रतियां बनवायी जाए, जिसकी एक प्रति सेवा प्रदाता के पास पी0पी0ओ0टी0 में ही रखी जाए। प्रभारी चिकित्सा इकाई एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास इकाईवार चिकित्सीय गर्भपात की संख्या व अन्य विस्तृत जानकारी प्रेषित करते समय महिला का नाम व पता किसी को भी न बताया जाए। चिकित्सीय गर्भपात एक गोपनीय प्रक्रिया है अतः महिला के विषय में जानकारी किसी को भी उजागर नहीं की जाएगी।
- सभी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुरक्षित गर्भपात सेवाओं हेतु परामर्श सेवाएं सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य इकाई पर फॅमिली वेलफेयर परामर्शदाता द्वारा स्वास्थ्य इकाईयों के आने वाली महिलाओं को परामर्श दिया जाए। इसके साथ ही परामर्शदाता के पास बॉस्केट ऑफ चॉइस रखा जाना अनिवार्य है।
- स्वास्थ्य इकाई स्तर पर ए0एन0एम0 बैठक, आशा क्लस्टर बैठक, आशा संगिनी बैठक आदि में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं एवं गर्भपात पश्चात परिवार नियोजन साधनो पर अभिमुखीकरण किया जाए। साथ ही इन बैठकों में सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने वाले स्वास्थ्य इकाईयों के बारे में भी चर्चा की जाए।
- समुदाय स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, सामुदायिक बैठक या गृह भ्रमण के दौरान आशा एवं आशा संगिनी द्वारा महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के बारे में एवं गर्भपात के पश्चात उपलब्ध विभिन्न परिवार नियोजन साधनो के बारे में परामर्श एवं सेवाओं से जोड़ने हेतु प्रयास किये जाए।
- सर्जिकल मेथड से सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान किये जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रूप में प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है, यदि आशा द्वारा किसी महिला को सर्जिकल गर्भपात सेवा दिलाने हेतु सहयोग प्रदान करती है तो आशा को इस हेतु रु० 150/–प्रति केस दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- मेडिकल मेथड से गर्भपात किये जाने की स्थिति में भी आशा को प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है, यदि आशा द्वारा लाभार्थी को प्रेरित करके प्रथम एवं तृतीय दिन को दवा को डोज दिलवाने एवं 15वे दिन लाभार्थी का फॉलोअप सुनिश्चित करवाने हेतु रु 225/– प्रति केस दिया जाने सुनिश्चित किया जाए।
- सर्जिकल मेथड से गर्भपात प चात आ0यू0सी0डी0 सेवाएं प्रदान किये जाने की स्थिति में सेवाप्रदाता को रू0 150/– प्रोत्साहन राशि दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- यदि आशा द्वारा किसी महिला को सर्जिकल मेथड से गर्भपात प चात आ0यू0सी0डी0 के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो आशा को इस हेतु रु० 150/– प्रति केस दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- सर्जिकल मेथड से सुरक्षितगर्भपात प चात आ0यू0सी0डी0 लगवाने के लिए महिला को रू0 300/– प्रोत्साहन राशि दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा मासिक रूप से प्रदान की गयी सुरक्षित गर्भपात सेवाओं (सर्जिकल एवं मेडिकल विधि से हुए गर्भपात) की प्रगति एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर मासिक रूप से अधुनांत की जाए।

उपरोक्तानुसार, प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुरूप जनपद स्तर पर सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रमको क्रियान्वित कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय

4/2/21

(डॉ0 राकेश दुबे) 28.1.2021

महानिदेशक

पत्रांक–प0क0/10–जे0डी0/824/2020--21/ 6482-21 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक, राष्टीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक, प0क0 राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्टीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, उ0प्र0को इस आशय से प्रेषित कि जनपद स्तर पर सुरक्षित गर्भपात सेवाओं संबंधित दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।
4. प्रतिनिधि, आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि दिशानिर्देशों के अनुरूप सेवाप्रदाताओं का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।

28.1.2021

(डॉ0 ओ0पी0 वर्मा)
संयुक्त निदेशक(प0क0)
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ